



झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग

संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग

Email id:- suresh121sharma@gmail.com

पत्रांक:-...../संचरण प्रमण्डल/हजारीबाग

दिनांक:-.....

प्रेषक,

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता,
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल
हजारीबाग।

विषय : सरिया के मौजा बड़की सरिया टोला मंथनियाँ में 132/33 के0वी0 ग्रीड सबस्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 2469 दिनांक 20.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त ग्रीड सबस्टेशन निर्माण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या-11-09/98-एफ.सी. दिनांक 13.05.11 एवं दिनांक 25.02.2015 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में एवं राज्य सरकार द्वारा निर्णयानुसार सैद्धांतिक सहमति के शर्तों को पालन करते हुए कंडिकावार उत्तर के साथ बाध्यता प्रमाण पत्र बिन्दुवार संलग्न करते हुए आग्रह करना है कि कार्य करने की अनुमति शीघ्र प्रदान करने की कृपा की जाय।

क्रम संख्या	परियोजना का नाम एवं अपयोजित वन भूमि का रकवा (हे0 में)	शर्त	अनुपालन
1	बड़की सरिया टोला मंथनियाँ में 132/33 के0वी0 ग्रीड	वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	बाध्यता प्रमाण पत्र Annexure- A में संलग्न है।
2	सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.08 को पारित ओदश के अनुरूप अपयोजित होनेवाली 4.05 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	पत्र Annexure- B में संलग्न है।
3		यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्याकारी होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र Annexure - C में संलग्न है।
4		प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	पत्र Annexure- B में संलग्न है।
5		प्रस्तावित वनभूमि में ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 09 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों के पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र Annexure- D में संलग्न है।
6		ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के उपरान्त जहां संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा	बाध्यता प्रमाण पत्र Annexure- E में संलग्न है।

		सुनिश्चित किया जायेगा।	
7		भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र Annexure- F में संलग्न है।
8		वनभूमि पर किसी प्रकार Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र Annexure- G में संलग्न है।
9		यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	बाध्यता प्रमाण पत्र Annexure- H में संलग्न है।
10		परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र Annexure- I में संलग्न है।
11		अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना के इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र Annexure- J में संलग्न है।
12		उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका - 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	-

अतः निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन (**Annexure**) के साथ आगे की कार्रवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- यथो

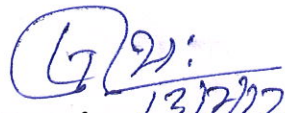
विश्वासभाजन
ह0/-
(सुरेश शर्मा)
विद्युत कार्यपालक अभियंता,
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग।

ज्ञापांक 113 / संचरण प्रमण्डल / हजारीबाग

दिनांक 13.7.2017

- प्रतिलिपि :-
- 1) विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, हजारीबाग।
 - 2) महाप्रबंधक सह-मुख्य अभियंता, संचरण प्रक्षेत्र-V, हजारीबाग।
 - 3) मुख्य अभियंता (संचरण), झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची।
 - 4) निर्देशक (परियोजना), झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची।
 - 5) प्रबंध निदेशक, झा0ऊ0सं0नि0लि0, राँची।

को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।


13/7/17
विद्युत कार्यपालक अभियंता,
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग।



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

विधुत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग

Email id:- suresh121sharma@gmail.com

वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत के संबंध में बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking)

मैं, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की तरफ से यह बाध्यता प्रमाण पत्र देता हूँ कि वन भूमि रकबा - 4.05 हेक्टेयर, थाना सं०- 44, खाता नं०- 200, प्लॉट नं० - 4661 किस्म- गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी ग्राम- बड़की सरिया, टोला- मंथनियाँ, सरिया, जिला - गिरिडिह की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।

(सुरेश शर्मा)

विधुत कार्यपालक अभियन्ता,
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग



हारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग
Email id:- suresh121sharma@gmail.com

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग (पूर्वी) के पत्रांक संख्या 2469 दिनांक -- 20.06.2017 के क0स0(ख एवं घ) में NPV के अनुसार रुपया 25,35,300.00 कैम्पा खाता संख्या SB01025212 कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली में जमा कर दी गई है एवं पावती रसीद की छायाप्रति संलग्न है।

Application Form : RTGS/NEFT
Application for RTGS/NIFT Remittance
Counterfoil
State Bank Of India
Branch : Hazaribag

Date : 13/07/2017

Received Rs.
from : Suresh Sharma ERE/130
By Cheque No. 324929
Transfer for RTGS/NEFT
On
Bank Corporation Bank
Branch Lodi Road New Delhi
Favouring Campa

Account No. SB01025212
IFSC Code: CORP0000841
Amount Rs. 25,35,300.00
Bank's Charges Rs. 59.00
Total Rs. 25,35,359.00

(Rupees Twenty Five Lac Thirty Five Thousand Three Hundred Fifty Nine only)

Electrical Engineer
Transmission Division

UTR No.

BNR52017071300056351 Hazaribag

(सुरेश शर्मा)

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग



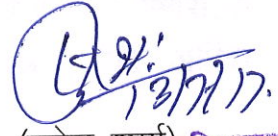
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

विधुत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग

Email id:- suresh121sharma@gmail.com

बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) NPV के संबंध में।

मैं, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की तरफ से बाध्यता प्रमाण पत्र देता हूँ कि NPV के दर में कोई संशोधन होता है तो झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड बड़ी हुई/अंतर राशि जमा करने के लिए बाध्य होगा।


(सुरेश शर्मा)
विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

विधुत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग

Email id:- suresh121sharma@gmail.com

बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) वृक्षों के पातन के संबंध में।

मैं, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की तरफ से यह बाध्यता प्रमाण पत्र देता हूँ कि प्रस्तावित वन भूमि में ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन, यदि आवश्यक हुआ तो 09 अक्टूबर के अन्दर उसकी सूची तैयार कर वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके ही पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 09 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा।

(सुरेश शर्मा)

विधुत कार्यपालक अभियन्ता
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

विधुत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग

Email id:- suresh121sharma@gmail.com

बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) वृक्षोरोपण के संबंध में।

मैं, झारखण्ड संचरण निगम लिमिटेड की तरफ से यह बाध्यता प्रमाण पत्र देता हूँ कि ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत जहाँ संभव हो सकेगा ग्रीड सब-स्टेशन के अन्दर, वृक्ष लगाने हेतु प्राक्कलन वन विभाग की देखरेख में तैयार किया जाएगा एवं लगाने की प्रक्रिया की जायेगी।

(सुरेश शर्मा)
13/07/17

(सुरेश शर्मा)
विधुत कार्यपालक अभियन्ता,
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

विधुत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग

Email id:- suresh121sharma@gmail.com

बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के शर्तों के संबंध में।

मैं, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की तरफ से यह बाध्यता प्रमाण पत्र देता हूँ कि भविष्य में यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(सुरेश शर्मा)

विधुत कार्यपालक अभियन्ता,
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

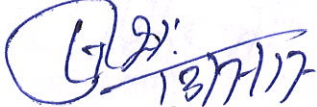
विधुत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग

Email id:- suresh121sharma@gmail.com

बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) Labour Camp में ईंधन इस्तेमाल करने के संबंध में।

मैं, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की तरफ से यह बाध्यता प्रमाण पत्र देता हूँ कि Labour Camp को गैर वनभूमि पर स्थापित किया जाएगा एवं कार्यरत मजदूरों को इस परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जाएगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।


(सुरेश शर्मा)

विधुत कार्यपालक अभियन्ता;
संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग
हजारीबाग



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

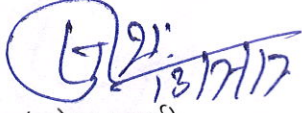
विधुत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग

Email id:- suresh121sharma@gmail.com

बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) मजदूरों द्वारा वन क्षति ना करने के संबंध में।

मैं, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की तरफ से यह बाध्यता प्रमाण पत्र देता हूँ कि प्रस्तावित वन भूमि पर परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँची जाएगी।


(सुरेश शर्मा)

विधुत कार्यपालक अभियन्ता
संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

विधुत कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग

Email id:- suresh121sharma@gmail.com

बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) परियोजना स्थल के उपयोगिता के संबंध में।

मैं, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की तरफ से यह बाध्यता प्रमाण पत्र देता हूँ कि प्रस्तावित वन भूमि पर ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण के अलावे किसी भी प्रकार के इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(सुरेश शर्मा)

विधुत कार्यपालक अभियन्ता
संचरण प्रमण्डल, श्रृंगारी कॉम्प्लेक्स, केन्हरी हिल रोड, हजारीबाग



झारखण्ड सरकार

कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।

वन भवन-1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)

E-mail: dfo.hazaribageast@yahoo.com; Telefax No. 06546-272461

पत्रांक : 2469

दिनांक : 20/06/17

सेवा में,

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता,
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड,
संचरण प्रमंडल,
हजारीबाग।

विषय :- हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल अन्तर्गत गिरिडीह जिला में मौजा- बड़की सरिया, टोला- मंथनियाँ में 132/33 के0वी0 पावर सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 जंगल झाड़ी दर्ज भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या- वनभूमि-13/2017-2333 व0प0, रांची दिनांक 01.06.2017 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का ज्ञापांक 1586 दिनांक 13.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है, कि विषयगत परियोजना हेतु, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के अन्तर्गत 4.05 हे0 वनभूमि (जंगल-झाड़ी) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या- 11-09/98-FC दिनांक 13.05.2011 एवं 25.12.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के प्रासांगिक पत्र के माध्यम से 12 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा लगाये गये शर्त संख्या-02 के अनुपालन हेतु मांग-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। यदि प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मुल्य (NPV) दर में वृद्धि होती है तो संशोधित वृद्धि दर पर बकाया राशि विभाग के पक्ष में जमा करना होगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगाये गये अन्य सभी शर्तों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र समर्पित करें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अतः अनुरोध है, कि मांग-पत्र के अनुरूप भुगतये राशि कैम्पा खाता संख्या- SB01025212 at Corporation Bank, CGO Complex, Phase-1, Lodhi Road, New Delhi- 110003 (RTGS/IFSC No- CORP0000371, and SB Account No- 344902010105420 of Union Bank of India, Sundar Nagar, New Delhi-110003(RTGS/IFSC No- UBIN0534498) through RTGS/NEFT mode में सीधे जमा करते हुए प्राप्ति रसीद इस कार्यालय में समर्पित करें।

अनुलग्नक:- यथोक्त

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।

मांग-पत्र

हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा-बड़की सरिया, टोला- मंधनियाँ में 132/33 के0वी0 ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11-09/98-FC दिनांक 13.05.2011 एवं दिनांक 25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची का ज्ञापांक वनभूमि-13/2017-2331 व0प0, रांची दिनांक 01.06.2017 द्वारा सशर्त सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में :-

01	शर्त संख्या-‘ख’ के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 4.05 हे0 वनभूमि (जंगल-झाड़ी) का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रु. 626000/- प्रति हेक्टेयर	2535300.00
कुल		2535300.00

(पच्चीस लाख पैंतीस हजार तीन सौ) मात्र

✓
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल।